फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ——अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01—मुकाम अजमेर

नरसिंह बनाम मुन्नी

किस्म मुकदमा :—दीवानी दावा **:—60/2010**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**
	दिनांकः— 07.08.2026 वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। वादी द्वारा आज एक प्रार्थना—पत्र वास्ते तारीख तब्दीली प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा जरिये प्रार्थना—पत्र निवेदन किया गया कि वादी भूपेन्द्र रिखब चन्द बोथरा की साक्ष्य होनी है परन्तु भूपेन्द्र रिखब चन्द बोथरा के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से काफी चोंटें आई है, इस कारण वह चलने—फिरने की स्थिति में नही होने से आज माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित न ही हो सके है। व उनकी अनुपस्थित का उचित व र्प्यापत कारण है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वाद में आज तारीख तब्दील की जाकर आगामी पेशी साक्ष्य वादी हेतु नियत की जावें। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया गया। उनके द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति प्रकट की गई। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना—पत्र के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं सलंग्न फर्द दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। चूंकि वादी भूपेन्द्र रिखब चन्द बोथरा के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से काफी चोंटें आई है, इस कारण वह चलने—फिरने की स्थिति में नही है। अतः वादी अस्वस्थ हैं प्रकरण के न्याय निर्णय के लिए वादी की साक्ष्य आवश्यक है प्रतिवादी को प्रतिपरीक्षण का अवसर प्राप्त होगा। अतः प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर वादी को साक्ष्य हेतु आगामी तारीख पेशी नियत की जाती है। प्रकरण न्यायालय के पुराने एवं लक्षित प्रकरणों में शुमार है आयन्दा पेशी पर साक्ष्य वादी आवश्यक रूप से करवाई जावें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 19.08.2026 को पेश हो।	